

प्रेस नोट सरहानीय कार्य- दिनांक 07.11.2024

थाना निगोही पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लूट/चोरी की योजना बनाते हुये 4 अभियुक्तों को मय एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद नाजायज चाकू तथा एक हथौड़ी लकड़ी का बैट लगा हुआ, एक प्लास, दो पेंच कस, एक सरिया, एक छेनी, एक संडासी, एक काले रंग की टार्च सहित किया गिरफ्तार।

शासन की मंशानुरूप एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद में आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही एवं अपराध की रोकथाम के अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के पर्यवेक्षण व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में थाना निगोही पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई।

दिनांक 06.11.24 की रात्रि में उ0नि0 राजेश कुमार मय हमराह फोर्स के थाना हाजा से रवाना होकर वास्ते गस्त व शान्ति व्यवस्था ड्यूटी व रोकथाम अपराध विवेचना पैन्डिंग मुकदमात व जांच अहकामात तलाश वांछित वारण्टी चैकिंग रात्रि ड्यूटी व रात्रि भ्रमण थाना क्षेत्र मे मामूर थे। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर बाबर ग्राम से पहले आम की बगिया में दीवार के किनारे से चार अभियुक्तो को अवैध तमंचा व अवैध चाकू तथा चोरी करने के उपकरणों के साथ लूट/चोरी की योजना बनाते हुये चारो अभियुक्तो को समय करीब 01.35 बजे दिनांक 07.11.24 को बाबर ग्राम के पास आम के बाग से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर मय दो अदद कारतूस 315 बोर जिन्दा एक अदद नाजायज चाकू दो हथौड़ी एक संडासी एक लोहे का सरिया व एक काले रंग की टार्च बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्तगणों से प्राप्त अवैध असलाह व चाकू के आधार पर मु0अ0सं0 625/24 धारा 312/313 बीएनएस व 3/4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ। अभियुक्तो को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा गया एवं मुकदमा उपरोक्त में विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. बच्चूलाल उर्फ लेखराज निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर
2. कृष्ण कुमार उर्फ अंडू पुत्र मंगलनिवासी ग्राम ईशापुर मिलकिया थाना निगोही जिला शाहजहाँपुर
3. श्रीकृष्ण पुत्र प्रताप निवासी ग्राम बलरामपुर थाना निगोही जिला शाहजहाँपुर
4. हरी सिंह पुत्र दीन दयाल निवासी ग्राम बलरामपुर थाना निगोही जिला शाहजहाँपुर

अभियुक्तो का आपराधिक इतिहास

(बच्चूलाल उर्फ लेखराज)

1. मु0अ0सं0 109/16 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना निगोही जनपद शाह0
2. मु0अ0सं0 10/16 धारा 102/41 द0प्र0सं0 व 411/413 भादवि थाना निगोही जनपद शाह0
3. मु0अ0सं0 113/20 धारा 307/399/402 भादवि थाना मिलक जनपद रामपुर
4. मु0अ0सं0 471/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना मिलक जनपद रामपुर
5. मु0अ0सं0 152/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द अभि0 1986 थाना मिलक जनपद रामपुर
6. मु0अ0सं0 516/19 धारा 380/411/457 भादवि थाना मिलक जनपद रामपुर
7. मु0अ0सं0 118/20 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना मिलक जनपद रामपुर
8. मु0अ0सं0 240/22 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना निगोही जनपद शाह0पुर
9. मु0अ0सं0 625/24 धारा 312/313 बीएनएस व 3/4/25 आयुध अधि0 थाना निगोही जनपद शाह0पुर

(कृष्ण कुमार उर्फ अंडू)

- 1.मु0अ0सं0 640/21 धारा 380/411/457 भादवि थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत
- 2.मु0अ0सं0 152/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिलसण्डा जनपद पीलीभीत
- 3.मु0अ0सं0 81/22 धारा 102/41 द0प्र0सं0 व 147/148/149/307/399/402/41 भादवि थाना बिलसण्डा जनपद पीलीभीत
- 4.मु0अ0सं0 84/22 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बिलसण्डा जनपद पीलीभीत
- 5.मु0अ0सं0 178/23 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज
- 6.मु0अ0सं0 625/24 धारा 312/313 बीएनएस व 3/4/25 आयुध अधि0 थाना निगोही जनपद शाह0पुर

(श्रीकृष्ण पुत्र प्रताप)

- 1.मु0अ0सं0 625/24 धारा 312/313 बीएनएस व 3/4/25 आयुध अधि0 थाना निगोही जनपद शाह0पुर

(हरी सिंह पुत्र दीन दयाल)

- 1.मु0अ0सं0 625/24 धारा 312/313 बीएनएस व 3/4/25 आयुध अधि0 थाना निगोही जनपद शाह0पुर

अभियुक्तगण से बरामदी

- 1 एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 2 एक अदद नाजायज चाकू
- 3 एक हथौडी लकडी का बेंट
- 4 एक प्लास
- 5 दो पेंचकस
- 6 एक सरिया
- 7 एक छेनी
- 8 एक संडासी
- 9 एक काले रंग की टार्च

पूछताछ आख्या

अभियुक्तों से पूछताछ की गयी तो सभी ने एक स्वर में बताया कि आज हम सभी लोग आसपास ही चोरी या लूट की घटना को अंजाम देने वाले थे। लेकिन आपने हमें पकड़ लिया है। बरामदा सामान के बारे में पूछा गया तो चारों अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग इन्ही औजारों से मकान का ताला तथा अलमारी तोड़ने के लिए प्रयोग में लाते हैं तथा रात में अन्जान व्यक्तियों जो रास्ते में मिल जाते हैं, उनको तमन्चा/चांकू के बल पर रोक कर उनके साथ लूट पाट करने का प्लान था। आवश्यकता पडने पर तमन्चे से गोली भी चलाते हैं तथा चाकू का भी प्रयोग करते हैं।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- प्रभारी निरीक्षक अरविन्द सिंह चौहान
उ0नि0 राजेश कुमार
उ0नि0 अंकित कुमार
उ0नि0 आदित्य कन्नौजिया
का0 2760 कर्मवीर सिंह
का0 2831 राजकुमार
का0 2759 अंकित कुमार
का0 1735 ज्ञानेन्द्र सिंह